क्रम-संख्या–57

("भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) विधेयक, 1970 पर दिनांक 7 अप्रैल, 1970 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970 के रूप में उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण में 8 अप्रैल, 1970 को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी रखने की व्यवस्था करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970 कहलाएगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 5, 1908 की धारा 137 का संशोधन

2--सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 137 की उपधारा (3) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात :--

"प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श स गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जाएं, पारित किए गए या दिए गए प्रत्येक निर्णय, डिक्री या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिन्दी होगी।"

अधिनियम संख्या 5, 1898 की धारा 367 का संशोधन

3--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 367 की उपधारा (1) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श स गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एसे न्यायालय व वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किय जाएं, पारित किए गए या दिए गए प्रत्येक निर्णय या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप क सहित हिन्दी होगी।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, 1970 का निरसन

4--उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।